अनुदान संख्या 78 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 78 – MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	17727,03,00		20093,08,00	19423,76,99	-669,31,01
पूरक	Supplementary	2366,05,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					669,24,17
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3180,77,00		4458,31,00	3894,11,15	-564,19,85
पूरक	Supplementary	1277,54,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					564,19,83

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (₹66931.01 लाख) दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹236605.00 लाख के पूरक अनुदान का 28 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹66931.01 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary grants of ₹236605.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय–आर्थिक सेवायें	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5886.00	4557.56	4557.22	-0.34
पु.	R.	-1328.44			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	177250.00			
पू.	S.	20451.00	..	..	..
पु.	R.	-197701.00			
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	1589567.00			
पू.	S.	216154.00	1937826.27	1937819.77	-6.50
पु.	R.	132105.27			

(I) ₹197704.00 लाख का प्रावधान (₹20451.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहाय इनमें से ₹197701.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹197704.00 lakhs (including supplementary grants of ₹20451.00 lakhs) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹197701.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- under the following heads:-

(का) "ग्रामीण विद्युतीकरण – अन्य व्यय – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹47200.00 लाख (₹20450.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(A) "Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification and Feeder Separation"- ₹47200.00 lakhs (including supplementary grant of ₹20450.00 lakhs);

(खा) "पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन" –

(B) "Transmission and Distribution - Direction and Administration" –

(क) "विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹120001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ख) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹30500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षो को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2801" – "सामान्य – विद्युत अधिनियम 2003 का प्रशासन – सांविधिक प्राधिकरण" – ₹39404.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7000.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹46404.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹26760.89 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, व्यावसायिक संविदाओं के संपादन नहीं होने, कोविड–19 महामारी के कारण कार्यालय के रखरखाव, पुस्तकों और मैनुअलों के प्रकाशन पर कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2801"–"ग्रामीण विद्युतीकरण" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर प्रथक्करण"– ₹521770.00 लाख का मूल प्रावधान ₹100480.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹622250.00 लाख तक बढ़ाया गया जो तथापि एजेंसी फीस के लिए राशि नहीं दिए जाने, पूर्वोत्तर राज्य डिस्काम द्वारा प्रशिक्षण आयोजित नहीं करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती करने के कारण ₹43569.12 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Strengthening of Power Systems"- ₹120001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(b) "Power Finance Corporation for Integrated Power Development Scheme (IPDS)" – ₹30500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2801"- "General – Administration of Electricity Act 2003 – Statutory Authorities"- the original provision of ₹39404.00 lakhs was augmented to ₹46404.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹7000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹26760.89 lakhs (including supplementary grant)- due to non-filling up of vacant posts, non-execution of professional contracts, requirement of less funds towards maintenance of office and publishing of books, manuals owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2801" - "Rural Electrification" - remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each: -

(A) "Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana - Rural Electrification and Feeder Separation"- the original provision of ₹521770.00 lakhs was augmented to ₹622250.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹100480.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹43569.12 lakhs – due to non-release of fund on account of agency fees, non-conduction of training by NER State Discoms and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹59760.00 लाख का मूल प्रावधान ₹26837.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹86597.00 लाख तक बढाया गया जो तथापि ₹8245.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes -Rural Electrification and Feeder Separation"- the original provision of ₹59760.00 lakhs was augmented to ₹86597.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹26837.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹8245.00 lakhs ; and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण"– ₹30960.00 लाख का मूल प्रावधान ₹13904.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹44864.00 लाख तक बढाया गया जो तथापि ₹4272.00 लाख लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Rural Electrification and Feeder Separation" - the original provision of ₹30960.00 lakhs was augmented to ₹44864.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹13904.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹4272.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत दावे देरी से प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to delay in receipt of claims under the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY).

(IV) "मुख्य शीर्ष "3451"–"सचिवालय – विद्युत मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹1328.78 लाख की बचत (₹5886.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, विक्रेताओं से दावे देर से प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3451"- "Secretariat - Ministry of Power"- saving of ₹1328.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5886.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, late receipt of claims from vendors and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(V) Under Major Head "2801" - savings occurred under the following heads: -

(का) "जल विद्युत उत्पादन – अन्य व्यय – केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को सहायता"– ₹7093.00 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुबान्श्री हाइड्रो लोअर प्रोजेक्ट में प्रशासनिक बाधाओं के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(A) "Hydel Generation - Other Expenditure - Assistance to Central Public Sector Undertakings (CPSU)"- saving of ₹7093.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to administrative hurdles in the Subansiri Hydro Lower Project.

(खा) "पारेषण और वितरण"–

(B) "Transmission and Distribution" -

(क) "एकीकृत विद्युत विकास योजना"–

(a) "Integrated Power Development Scheme" –

(i) "विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए"–₹35062.83 लाख की बचत (₹193900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूटिलिटीज से दावे प्राप्त नहीं होने, बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के रद्द होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(ii) "प्रधान मंत्री का विकास पैकेज 2015 जम्मू और कश्मीर पैकेज (केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से)"–₹9982.69 लाख की बचत (₹45000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य डिस्काम से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – एकीकृत विद्युत विकास योजना"– ₹36301.66 लाख की बचत (₹68000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना –एकीकृत विद्युत विकास योजना"– ₹22600.00 लाख की बचत (₹37600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विभिन्न परियोजनाओं के रद्द होने, यूटिलिटीज द्वारा उपयोगिता के अंतिम बिल प्रस्तुत नहीं करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य"–

(i) "Power Finance Corporation-for Integrated Power Development Scheme"- saving of ₹35062.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹193900.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from utilities, cancellation of various projects in Bihar and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Prime Minister's Development Package (PMDP) 2015 Jammu and Kashmir Package (Through Central Agency)"- saving of ₹9982.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State DISCOMs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹36301.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68000.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹22600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to cancellation of various projects, non-submission of final bills of utilisation by utilities and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "General" –

(क) "प्रशिक्षण–अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹5392.98 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सकल बजटीय सहायता से प्रशिक्षण अवसंरचना सृजित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरी और वित्त मंत्रालय द्वारा प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Training-Research and Training" - saving of ₹5392.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to delay in finalization of project proposals of National Power Training Institute (NPTI) for creating training infrastructure from Gross Budgetary Support (GBS) and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "प्रशिक्षण और विकास – अनुसंधान और प्रशिक्षण"–₹6000.00 लाख की बचत (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार मितव्ययता उपायों के अनुपालन के कारण हुई।

(b) "Research and Development - Research and Training" - saving of ₹6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and compliance of economy measures as per directions of Ministry of Finance.

(ग) "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रशासन – संरक्षण और ऊर्जा दक्षता" ₹4200.00 लाख की बचत (₹19782.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक से दावे प्राप्त नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Administration of Energy Conservation Act 2001 - Conservation and Energy Efficiency" - saving of ₹4200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19782.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from World Bank and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "अन्य व्यय"–

(i) "लोहारी नागपाला"– ₹9316.20 लाख की बचत (₹10440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूटिलिटीज से दावे प्राप्त नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थ मामले से संबंधित भुगतान" – ₹1604.75 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(d) "Other Expenditure" –

(i) "Lohari Nagpala" - saving of ₹9316.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10440.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from utilities and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Payment pertaining to International Arbitration case" - saving of ₹1604.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹487.15 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹353337.01 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹216155.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "जल विद्युत उत्पादन – अन्य व्यय –पाकल डल परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकीसपीडीसीएल) "– ₹16146.00 लाख

(खा) "पारेषण और वितरण"–

(क) "निदेशन और प्रशासन"–

(i) "अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण"– ₹160000.00 लाख।

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना"– ₹38000.00 लाख।

(iii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक से अनुदान"– ₹29501.00 लाख।

(ख) "अन्य व्यय"–

(i) "विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण"– ₹76224.01 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹76224.00 लाख था।

(ii) "सुधार सहबद्ध वितरण प्रणाली"– ₹33466.00 लाख।

(VI) Under one head saving of ₹487.15 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹353337.01 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹216155.00 lakhs under Major Head "2801" - under the following heads: -

(A) "Hydel Generation - Other Expenditure - Pakal Dul Project - Jammu and Kashmir State Power Development Corporation Limited (JKSPDCL)" - ₹16146.00 lakhs.

(B) "Transmission and Distribution" -

(a) Direction and Administration" -

(i) "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim"- ₹160000.00 lakhs.

(ii) "Power System Improvement Project for North Eastern Region (NER)" - ₹38000.00 lakhs.

(iii) "World Bank Grant for Power System Improvement Project for North Eastern Region (NER)" - ₹29501.00 lakhs.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Strengthening of Power Systems" - ₹76224.01 lakhs. Actual excess, however, was ₹76224.00 lakhs.

(ii) "Reform Linked Distribution Scheme" - ₹33466.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹56419.85 लाख) मार्च, 2022 में प्राप्त ₹127754.00 लाख के पूरक अनुदान का 44 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹56419.85 lakhs) constituted 44 percent of the supplementary grants of ₹127754.00 lakhs obtained in March, 2022 and 13 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष"4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय'	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	8077.00			
पू.	S.	1000.00	2815.90	2815.89	-0.01
पु.	R.	-6261.10			
मुख्य शीर्ष "6552" पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऋण	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	12000.00			
पू.	S.	354.00	..	..	..
पु.	R.	-12354.00			
मुख्य शीर्ष "6801" विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	Major Head "6801" Loans for Power Projects				
मू.	O.	298000.00			
पू.	S.	126400.00	386595.27	386595.26	-0.01
पु.	R.	-37804.73			

(I) ₹18935.00 लाख का प्रावधान (₹354.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित तीन शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा, इस में से ₹18934.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखबद्ध था :–

(I) Provision of ₹18935.00 lakhs (including supplementary grants of ₹354.00 lakhs) remained wholly unutilised under three heads; of these ₹18934.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "4801" – "ताप विद्युत उत्पादन–सार्वजनिक और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारत का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम"– ₹6580.00 लाख – कोल बियरिंग क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।

(A) Major Head "4801" – "Thermal Power Generation-Investments in Public Sector and other Undertakings-National Thermal Power Corporation of India"- ₹6580.00 lakhs - due to non-receipt of proposal from the National Thermal Power Corporation (NTPC) regarding acquisition of Coal Bearing Areas.

(खा) मुख्य शीर्ष "6552"–"विद्युत परियोजनाओं को ऋण–सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण–विद्युत वित्त निगम–एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए"– ₹12354.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(B) Major Head "6552"–"Loans to Power Projects - Loans to Public Sector and other Undertakings – Power Finance Corporation- for Integrated Power Development Scheme" - ₹12354.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "6801" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "6801" - remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each: -

(का) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹115000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹99100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹214100.00 लाख तक बढाया गया जो ₹30843.82 लाख तक अप्रयुक्त रहा; और

(A) "Loans to Public Sector and other Undertakings - Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme"- the original provision of ₹115000.00 lakhs was augmented to ₹214100.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹99100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹30843.82 lakhs; and

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए"– ₹20000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹18500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹38500.00 लाख तक बढ़ाया गया जो तथापि, ₹6821.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme"- the original provision of ₹20000.00 lakhs was augmented to ₹38500.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹18500.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹6821.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims under the Integrated Power Development Scheme.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹320.90 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4801" – "सामान्य – अन्य व्यय – विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹320.89 लाख था।

4. The above savings were partly (₹320.90 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1000.00 lakhs under Major Head "4801" - "General - Other Expenditure - Strengthening of Power Systems". Actual excess, however, was ₹320.89 lakhs.